न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 39/11

1. आत्मासिंह उम्र 67 साल पुत्र श्री बख्तावर सिंह जाति जटसिख निवासी संगराना (23 आरबी) हाल आबाद संगराना तहसील मुक्तसर जिला मुक्तसर (पंजाब)।
2. परमात्मा उम्र 62 साल पुत्र श्री बख्तावर सिंह जाति जटसिख निवासी संगराना (23 आरबी) हाल आबाद संगराना तहसील मुक्तसर जिला मुक्तसर (पंजाब)।
3. हाकम सिंह उम्र 53 साल पुत्र श्री बख्तावर सिंह जाति जटसिख निवासी संगराना (23 आरबी) हाल आबाद संगराना तहसील मुक्तसर जिला मुक्तसर (पंजाब)।
4. ईकबाल सिंह उम्र 45 साल पुत्र श्री बख्तावर सिंह जाति जटसिख निवासी संगराना (23 आरबी) हाल आबाद संगराना तहसील मुक्तसर जिला मुक्तसर (पंजाब)।
5. गुरदास सिंह उम्र 68 साल पुत्र श्री सम्पूर्ण सिंह जाति जटसिख निवासी संगराना (23 आरबी) हाल आबाद संगराना तहसील मुक्तसर जिला मुक्तसर (पंजाब)।
6. दर्शनसिंह उम्र 65 साल पुत्र श्री सम्पूर्ण सिंह जाति जटसिख निवासी संगराना (23 आरबी) हाल आबाद संगराना तहसील मुक्तसर जिला मुक्तसर (पंजाब)।

—वादीगण

वनाम

1. गुरदयाल सिंह पुत्र श्री धर्मसिंह जाति जटसिख निवासी संगराना (23 आरबी) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर। (विलोपित)
2. जग्गासिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी संगराना (23 आरबी) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. जोधासिंह पुत्र श्री ज्ञानसिंह जाति जटसिख निवासी संगराना (23 आरबी) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
4. जसविन्द्र सिंह पुत्र श्री पूर्णसिंह जाति जटसिख निवासी संगराना (23 आरबी) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर।

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्त.अधिनियम एवं धारा 125, 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थितिः—

1. श्री पी.एस.गिल वकील वादीगण
2. श्री सोहनलाल वर्मा वकील प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः— 26-11-2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्त.अधिनियम एवं धारा 125—136 भू.राज.अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जमावन्दी सम्तव् 2026—29 संयुक्त खाता 4 चक 24 आरबी के मु.नं. 24 के कि.नं. 1 ता 5 की 24.10 बीघा व मु.नं. 28 के 12.10 कुल 37—00 बीघा व 0—10 बिस्वा गैर मुमकिन खातेदारी 1/4 हिस्सों में से भगवानसिंह, बख्तावर सिंह, सम्पूर्ण सिंह, काकड़सिंह, भागसिंह प्रत्येक 1/5 हिस्सा खातेदारी हिस्सा धारण करते थे। इन पांचों को प्रत्येक को $37^{1/2}$ बिस्वा भूमि प्राप्त थी व खातेदार थे। जमाबन्दी चक 24 आरबी के खाता सं. 7 अनुसार मु.नं. 7 के कि.नं. 1 ता 25 में 6.325 है0 नहरी भूमि उक्त बख्तावर सिंह, सम्पूर्ण सिंह, काकड़सिंह, भागसिंह प्रत्येक को 1/4 हिस्सा 6.05 है0 भूमि खातेदारी प्राप्त थी। वादीगण 1 ता 4 के पिता बख्तावर सिंह द्वारा उपरोक्त दोनो खातों की $8—2^{1/2}$ बीघा नहरी भूमि में से दिनांक 04.08.75 को जरिये बैयनामा 60 हिस्सा यानि 3 बीघा प्रतिवादी 1 गुरदयाल सिंह को व 65 हिस्सा यानि 3 बीघा 05 बिस्वा प्रतिवादी सं. 2 जग्गासिंह को विक्रय कर दी थी। इस प्रकार शेष 1 बीघा $17^{1/2}$ बिस्वा भूमि बख्तावर

(राजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

सिंह की रही। वख्तावर सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में वादीगण 1 ता 4 को दिनांक 04.04.86 को रजिस्टर्ड वसीयत करवा दी थी। इस प्रकार वादीगण वसीयतन खातेदाधिकारी है। भूमि हमारे कब्जा काश्त में चली आ रही है। समस्त हक हकूक व खातेदारी अधिकार हमें प्राप्त है। जिन्हें घोषित करवा पाने व रिकार्ड में दुरूस्ती करवा पाने के विधिक अधिकारी है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने वादीगण 1 ता 4 के पिता से जरिये बैयनामा खरीदशुद्धा भूमि का अमल दरामद अपने नाम करवाने की कार्यवाही का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर बन्दोबस्त विभाग ने आदेशिका दिनांक 02.02.82 में वख्तावर सिंह का समस्त हिस्सा ही खारिज कर दिया। खातेदार काकड सिंह ने उपर वर्णित संयुक्त खाता सं. 7 के मु.नं. 7 में अपना 1/4 अपना समस्त हिस्सा जरिये पंजीकृत बैयनामा बेचान कर दिया। इन्तकाल सं. 127 दिनांक 29.11.81 अनुसार वख्तावर सिंह की एक हिस्सा भूमि दिखाई गई थी। जो विना किसी कारण से इन्तकाल सं. 83 दिनांक 10.03.98 में वख्तावर सिंह के स्थान पर काकड सिंह के नाम दर्शा दी गई। खातेदार सम्पूर्ण सिंह व भाग सिंह द्वारा संयुक्त रूप से अपने हिस्सा की भूमि में से 5 बीघा भूमि का बेचान गुरचरण सिंह आदि को कर दिया। इस खाता में सम्पूर्ण सिंह व भाग सिंह की 75–75 हिस्सा भूमि शेष रही। मगर बैयनामा के इन्तकाल सं. 102 दिनांक 22.11.73 अनुसार वादीगण 5, 6 के नाम से 12 हिस्सा ही भूमि दर्ज कर दी। जबकि उनके पिता की 75 हिस्सा भूमि शेष थी। वादीगण 5 व 6 अपने पिता सम्पूर्ण सिंह के 75 हिस्सा अर्थात .949 है0 रकबा पर अपने खातेदारी अधिकारों को घोषित करवा व रिकार्ड में दुरूस्ती करवाने के विधिक अधिकारी है। वादीगण सं. 1 ता 4 के पिता प्रतिवादी सं. 1 व 2 की विक्रय की गई 6.05 बीघा भूमि का कब्जा अपने भाईयों (सहखातेदारान) की सहमति अनुसार उपर वर्णित संयुक्त खाता सं. 4 के मु.नं. 28 में से दिया। इसी अनुसार रिकार्ड में अमल दरामद कराया। जो बन्दोवस्त विभाग द्वारा दिनांक 02.02.82 को आदेश दिया। उसके बाद पर्चा खतौनी में प्रतिवादी सं. 1 का 60 हिस्सा दर्ज है। इस प्रकार प्रतिवादी सं. 1 व 2 की उक्त वर्णित खाता में कोई भूमि शेष नही रही। समय–समय पर सहवन से प्रतिवादी गुरदयालसिंह के नाम .418 है0, प्रतिवादी जग्गासिंह के नाम .822 है0 दर्शायी जा रही है। जबकि उनके नाम कोई रकबा शेष नही रहा है। भाग सिंह ने अपने रकबा की वसीयत वादीगण सं. 5, 6 के नाम कर दी थी। खाता सं. पुराना 7 नया 13 में प्रतिवादी स. 3 जोधासिंह का 1.758 है0 वादीगण सं. 5 व 6 का .949 है0 व भाग सिंह का .949 है0 जो वसीयत अनुसार वादीगण 5, 6 को प्राप्त हुआ। जो इन्तकाल दर्ज है। वादीगण सं. 1 ता 4 का .467 है0, प्रतिवादी सं. 4 जसविन्द्र सिंह का .632 है0 भूमि रहनी चाहिए। प्रतिवादी सं. 1 के नाम .418 है0, प्रतिवादी सं. 2 जग्गासिंह के नाम .822 है0, काकड के नाम .013 है0 दर्ज न होकर .467 है0 भूमि वख्तावर सिंह की खातेदारी होने से वादीगण सं. 1 ता 4 के नाम से शेष .936 है0 रकबा वादीगण सं. 5 व 6 के नाम दर्ज होने चाहिए थी। प्रतिवादी सं. 5 व 6 के गुरदयालसिंह, दर्शन के नाम दर्ज होने चाहिए थी। काकड सिंह खातेदार का नाम हटाया जाना न्यायोचित है। गुरदयालसिंह व जग्गासिंह प्रतिवादीगण का नाम भी इस खाता से हटाया जाना न्यायोचित है। जसविन्द्र सिंह प्रतिवादी सं. 4 का .632 है0, वादीगण 1 ता 4 का .467 है0, वादीगण 5 व 6 का .936 है0, प्रतिवादी सं. 3 का 1.758 है0 व वादीगण 5 व 6 को भगतसिंह से प्राप्त .949 है0 के खातेदार घोषित होने व रिकार्ड में दुरूस्ती करवाकर घोषणात्मक डिक्री अनुसार रिकार्ड में अमल दरामद कराने के अधिकारी है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 2 ता 4 की ओर से सोहन लाल वर्मा उपस्थित आये। प्रतिवादी सं. 1 से कोई अनुतोष प्राप्त नही करने के कारण दिनांक 07.07.11 को वाद पत्र से विलोपित किया गया। प्रतिवादी सं. 2 ता 4 की ओर से जवाब दावा वाद पत्र अनुसार डिक्री किये जाने

Scanned by CamScanner

दर्ज किया गया। साक्ष्य वादी में दर्शनसिंह का शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ एवं दस्तावेज 1 ता [illegible] प्रदर्श अंकित कराए गए। वकील वादी ने दिनांक 05.11.2019 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया [illegible] के लेहाज से आकड सिंह को वाद पत्र में पक्षकार बनाया जाने से रह गया था। उसके [illegible] हिस्से 0.13 है0 भूमि यथावत रखते हुए शेष अनुतोष डिक्री जाने हेतु निवेदन किया। [illegible] पर किसी ने कोई एतराज प्रकट नहीं किया। साक्ष्य प्रतिवादी में जसवंतसिंह का शपथ पत्र पेश हुआ। प्रतिवादीगण द्वारा सहमति जवाब दावा पेश करने पर तनकियात कायम नहीं की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दावा डिक्री किए जाने हेतु निवेदन किया एवं वकील वादी ने आकड सिंह का हिस्सा 0.13 है0 यथावत रखने का निवेदन किया। शेष वाद अनुसार डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। प्रतिवादीगण द्वारा बहस में वाद पत्र अनुसार दावा डिक्री करने हेतु अपनी सहमति बताई।

बहस वकील पक्षकारान पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में अंकित तथ्यों के बाबत में वकील प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में विरोध प्रकट नहीं किया है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

उक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद पत्र बरखिलाफ प्रतिवादीगण एवं खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। वाके चक 24 आबादी के संयुक्त खाता सं. 07/13 कुल नया ख. नं. 242/250 कुल 7 के 4.744 है0 कृषि भूमि में वादीगण आत्मासिंह, [illegible] सिंह, दर्शनसिंह एवं इकबाल के पिता [illegible] सिंह की [illegible] 4.87 है0 भूमि पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है तथा इसी प्रकार वादीगण [illegible] सिंह, दर्शनसिंह के 0.08 है0 भूमि पर खातेदार घोषित किया जाता है। वर्तमान [illegible] में गलती से प्रतिवादी दर्शाये गये। प्रतिवादी गुरुदयालसिंह 4.13 है0 प्रतिवादी [illegible] 822 है0 रकबा राजस्व रिकार्ड से विलोपित कर उसके स्थान पर वादीगण को हिस्सानुसार खातेदार घोषित किया जाता है तथा आकड सिंह पुत्र बलकार सिंह का हिस्सा यथावत रखा जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी (सिविल)
[illegible]

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2019.12.11 12:17:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: